

आदेश की
ति

हस्ताक्षरयुक्त आदेश

कार्यालय
अभ्युक्ति

27.06.2024

वाद संख्या-11/2024

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती सविता देवी एवं अन्य, ग्राम-रोदो, पंचायत-बिजका, थाना-भण्डरिया, जिला-गढ़वा दूरभाष के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा आयोग कार्यालय में उपस्थित।

इस वाद में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गढ़वा ने पत्रांक-663 दिनांक-26.06.2024 के माध्यम से आयोग को अवगत कराया है कि आयोग के निर्देश के बाद कुल-48 शिकायतकर्ताओं में से 30 लाभुकों को माह फरवरी, 2024 से माह मई, 2024 तक कुल-04 माह का ऑफलाईन एवं माह जून, 2024 का ऑनलाईन खाद्यान्न उपलब्ध करा दिया है। शेष 18 लाभुक के संदर्भ में जानकारी दी गई है कि वे नियमित रूप से खाद्यान्न का उठाव कर रहे हैं।

इस बीच शिकायतकर्ता ने अपने मूल आवेदन से हट कर एक नया आवेदन इसी वाद में आयोग को भेजा है, जिसमें पिछले अक्टूबर से जनवरी तक राशन की कटौती करने की बात लिखी गई है। आयोग सदस्य सचिव, राज्य खाद्य आयोग को निर्देश देता है कि शिकायतकर्ता के दूसरे आवेदन पर नया वाद प्रारंभ किया जाए।

चूंकि शिकायतकर्ताओं के मूल आवेदन का निराकरण कर दिया गया है। अतः आयोग इस वाद को निष्पादित करता है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजे।

(शबनम परवीन)

सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)

अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।